भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1877

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

सरकारी मुकदमों को कम करने के उपाय

1877. श्री नीरज शेखरः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न न्यायालयों में आज की तारीख तक कुल लंबित मामलों का लगभग 50 प्रतिशत सरकारी मुकदमों के कारण है ;

(ख) यदि हाँ, तो ततसंबंधी राज्य-वार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो न्यायालयों में कुल लंबित मामलों में से सरकारी मुकदमों के राज्य-वार और न्यायालय-वार प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) : उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, जानकारी उपाबंध के अनुसार है ।

(घ) : मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से, रेल और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालय और विभाग जो मुकद्दमेबाजी की अधिक संख्या में अंतर्वलित हैं, न्यायालय मामलों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करते रहे हैं । रेल मंत्रालय ने सभी स्तरों पर न्यायालय मामलों की प्रभावी मानीटरी के लिए अनुदेश जारी किए हैं । आंचलिक रेल और उत्पादन इकाइयों से यह कहा गया है कि उन मामलों की संख्या को कम करने के लिए जिनमें सरकार एक पक्षकार है और शीघ्र ही न्यायालयों

के बोझ को कम करने में सभी न्यायालयों में सभी मामलों को शीघ्रतया अंतिम रुप देने और न्यायालय मामलों को लड़ने में खर्च में कटौती करने के लिए प्रभावी कदम उठाए । इसको प्राप्त करने के लिए, अधिवक्ताओं को समय पर उत्तर, प्रत्युत्तर तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुति के अलावा उच्च स्तर पर ब्रीफिंग तथा दिए जाने वाले आवश्यक निर्देशों के लिए, पैनलीकृत अधिवक्ताओं के साथ नियमित बैठकें करके मामलों की प्रभावी मॉनीटरी पर जोर दिया गया है ।

राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भारी संख्या में अनुदेश जारी किए हैं और न्यायालयों पर मुकद्दमेबाजी को तथा उसके पारिणामिक भार को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । जबकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्षेत्र अधिकारियों को यह निदेश देते हुए परिपत्र जारी किए हैं कि आय-कर अपील अधिकरणों/उच्च न्यायालयों/ उच्चतम न्यायालय के समक्ष की विनिर्दिष्ट सीमा से कम की कर प्रभाव वाली लंबित अपीलों को वापस लिया जाए/उन पर कार्रवाई न की जाए और प्रक्रिया में उच्च मांग वाली मुकद्दमेबाजी पर बेहतर और सम्मिलित संकेंद्रण को सुकर बनाया जाए । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्षेत्र अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलें मात्र इस कारण से फाइल नहीं की जानी चाहिए कि किसी विशिष्ट मामले में कर प्रभाव विहित मौद्रिक सीमाओं से अधिक है, और अपील फाइल किए जाने का विनिश्चय सर्वथा मामले के गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन क्षेत्र विरचनाओं को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे उच्च न्यायालयों/सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में लंबित अपीलों को वहां वापस ले लें, जहां उच्चतम न्यायालय ने समरूप विषय पर विनिश्चय किया है । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ने अपनी क्षेत्र विरचनाओं को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपील में वहां और प्रतिवाद न करें, जहां अपीलों के दो प्रक्रमों में मुद्दे को हार गए हैं । तथापि, यह विनिश्चय किया गया है कि उन मामलों में, जहां यह महसूस किया गया है कि मुद्दा आगे अपील करने के लिए उपयुक्त है, वहां उचित औचित्य पर और क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त के अनुमोदन पर, तीसरी बार अपील फाइल की जा सकती है । क्षेत्र विरचनाओं को, केवल उन विशेष इजाजत याचिका प्रस्तावों को वहां अग्रेषित करने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं, जहां मुद्दे में विधि का सारवान् प्रश्न या घोर दुराग्रह या साक्ष्य के मूल्यांकन में अवैधता अंतर्वलित है ।

इस दशा में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, दोनों ने अपील फाइल करने की मौद्रिक अवसीमा को भी बढ़ाया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :--

<u>केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड</u>

अपील फाइल करने के लिए	**मौद्रिक सीमा**
आय-कर अपील अधिकरण **के समक्ष**	50 लाख रुपए
उच्च न्यायालय **के समक्ष**	1 करोड़ रुपए
उच्चतम न्यायालय **के समक्ष**	2 करोड़ रुपए

<u>केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड</u>

निम्नलिखित के समक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों में अपीलें फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमाएं			**निम्नलिखित के समक्ष सीमा शुल्क से संबंधित मामलों में अपीलें फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमाएं**		
सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायालय के समक्ष	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायालय के समक्ष
50 लाख रुपए	1 करोड़ रुपए	2 करोड़ रुपए	5 लाख रुपए	10 लाख रुपए	25 लाख रुपए

भारत संघ की मुकद्दमेबाजी को मानीटर करने के प्रयोजन के लिए, वर्ष 2016 में एक वेब प्लेटफार्म, अर्थात् विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्बस) सृजित की गई थी । लिम्बस वर्जन-2 लिम्बस को एप्लीकेशन में तत्कालिक विद्यमान प्रौद्धोगिकीय अंतर को पाटने के लिए वर्ष 2019 में आरंभ किया गया है। लिम्बस वर्जन-2 का विजन भारत सरकार के संपूर्ण मंत्रालयों/विभागों में '**मुकद्दमेबाजी की मानीटरी के लिए कागजरहित और समकालिक व्यवस्था की स्थापना के साथ भारत सरकार के मुकद्दमेबाजी के लिए एकल प्लेटफार्म के रुप में'** है । 57 उपयोक्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिम्बस पोर्टल पर केंद्रीय सरकार से संबंधित मामलों के ब्यौरे अद्यतन किए जाते हैं । लिम्बस पोर्टल पर डाटा उपयोक्ता आधारित है, जो संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उपयोक्ताओं द्वारा प्रविष्ट किया गया है, न कि केंद्रीय रूप से विधि कार्य विभाग द्वारा ।

अंतर-मंत्रालययी/विभागीय विवादों के समाधान के लिए अनुकल्पी तंत्र ऐसे विवादों के समाधान के लिए संस्थित तंत्र का उपबंध करने के लिए, अर्थात् विवाद समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) है। यह विधि कार्य विभाग द्वारा उनके बनाया गया था और कार्यालय ज्ञापन तारीख 31-03-2020 द्वारा परिचारित किया गया । यह तंत्र, जो कराधान विवादों से भिन्न विवादों को लागू होता है,

न्यायालयों में मुकद्दमेबाजी को वहां कम करेगा और न्यायालय प्रणाली से बाहर मामलों का वहां समाधान करेगा, जहां दोनों पक्षकार सरकारी विभाग हैं या जहां एक पक्षकार सरकारी विभाग है और दूसरा पक्षकार इसका करणकारक (सीपीएसई/बोर्ड/प्राधिकरण इत्यादि) है ।

केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों तथा सरकारी विभागों/संगठनों के बीच परस्पर वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए पूर्व की स्कीम 'माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र' के स्थान पर, एक नई स्कीम अर्थात "सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी)" को तारीख 22.05.2018 से प्रभावी किया गया है ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को, वर्ष 2018 में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व-मध्यकता संस्थन और समाधान (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन, कोई ऐसा पक्षकार, जो 3 लाख रुपए और उससे अधिक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु में कोई अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष को अनुध्यात नहीं करता है, न्यायालय में पहुंचने से पूर्व, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा संचालित की जाने वाली पीआईएमएस के उपाय को पहले नि:शेष करेगा ।

इसके अतिरिक्त, मध्यकता के वैकल्पिक विवाद प्रतितोष तंत्र के माध्यम से न्यायालय प्रणालियों से बाहर, विवादों के त्वरित निपटान को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ पक्षकारों द्वारा मुकदमापूर्व मध्यकता प्रदान करने के लिए मध्यकता विधेयक, 2021, राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है ।

यह भी कि न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुन: प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

****

उपाबंध

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>न्यायालय का नाम</th><th>मामलों की संख्या, जहां भारत सरकार एक पक्षकार है</th><th>कुल लंबित मामले (15.03.2022 तक, के सिवाय*)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>माननीय भारत का उच्चम न्यायालय</td><td>मांगी गई रीति में जानकारी नहीं रखी जाती है । तथापि, पक्षकार के नाम में अंतर्विष्ट पाठ जैसे 'यूओआई', 'यू.ओ.आई.', 'यूनियन आफ इंडिया', 'भारत सरकार', और 'सरकार', खोज के आधार पर (आईसीएमआईएस) से प्राप्त आंकड़े के अनुसार) भारत के उच्चतम न्यायालय में 19.8.2021 तक, लंबित सिविल मामलों की संख्या 7933 और दांडिक मामलों की संख्या 755 है ।</td><td>70154* (02.03.2022 तक)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>माननीय बंबई उच्च न्यायालय</td><td><table><tr><td colspan="2">04.03.2022 तक , कुल लंबित मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण, जिसमें केंद्रीय सरकार पक्षकार है</td></tr><tr><td>सिविल</td><td>दांडिक</td></tr><tr><td>26162</td><td>1311</td></tr><tr><td colspan="2">27473</td></tr></table></td><td>578959</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय</td><td>13.09.2021 तक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसके अंतर्गत लखनऊ न्यायपीठ, लखनऊ भी है, में लंबित मामलों की कुल संख्या, जिसमें केंद्रीय सरकार एक पक्षकार है :<table><tr><td>सिविल</td><td>16407</td></tr><tr><td>दांडिक</td><td>2125</td></tr><tr><td>योग</td><td>18532</td></tr></table></td><td>1035155</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय</td><td><table><tr><td colspan="2">07.03.2022 तक</td></tr><tr><td>कलकत्ता उच्च न्यायालय</td><td>11535</td></tr><tr><td>जिला न्यायालय</td><td>6482</td></tr></table></td><td>224737</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय</td><td>लंबित मामलों की कुल संख्या, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, 05.03.2022 तक 2261 है ।</td><td>84103</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>6.</td>
<td>माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय</td>
<td>लंबित मामलों की कुल संख्या, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, 28.02.2022 तक 14117 है ।
<u>टिप्पण</u> :
उपरोक्त डाटा, कंप्यूटर में डाटा बेस में उपलब्ध याचिकाकर्ता/वादी/अपीलार्थी या प्रत्यर्थी /प्रतिवादी के प्रथम नाम जैसे 'यूओआई', 'यू.ओ.आई.', 'यूनियन आफ इंडिया', 'भारत सरकार', के अनुसार है । उपरोक्त आकड़े उन मामलों के सिवाय हैं, जहां मामले में भारत संघ कोई एक पक्षकार हो सकती है किंतु वह मामले में प्रथम याचिकाकर्ता/अपीलार्थी/वादी या प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी नहीं है । इसमें वे मामले भी नहीं हैं जो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन मंत्रालयों , विभागों ,संस्थानों और संगठनों के नाम में फाइल किए गए हैं ।</td>
<td>102942</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय</td>
<td>04.03.2022 तक , मामलों की संख्या 10949 है , जहां भारत संघ एक पक्षकार है ।</td>
<td>56444</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>माननीय गुजरात उच्च न्यायालय</td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="4">03.03.2022 तक, लंबित मामलों की संख्या, जहां भारत संघ एक पक्षकार है ।</td></tr>
<tr><td></td><td>याचिकाकर्ता के रूप में</td><td>प्रत्यर्थी के रूप में</td><td>योग</td></tr>
<tr><td>सिविल</td><td>522</td><td>5054</td><td>5576</td></tr>
<tr><td>दांडिक</td><td>19</td><td>93</td><td>112</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>541</td><td>5147</td><td>5688</td></tr>
</table>
<u>टिप्पण :</u>
1. चूंकि भारत संघ को खोजने के लिए जहां वह कोई पक्षकार हो, कोई विशिष्ट पहचान नहीं है, 03.03.3022 तक एनसीसीआईएस में प्रविष्ट की गई याचिकाकर्ता/ प्रत्यर्थी के नाम या पते में पाठ “भारत संघ” के रूप में खोज द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट है ।
2. यह और स्पष्ट किया जाता है कि याचिका में उल्लिखित पक्षकार का नाम मामला-दर-मामला भिन्न हो सकता है, रिपोर्ट में वे सभी मामले न हों, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, ।
3. रिपोर्ट 04/03/2022 को सृजित की गई है ।</td>
<td>152129</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>4. यह रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रविष्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार सृजित है तथा एनजेडीजी सर्वर पर रिपोर्ट का सृजन करते समय उपलब्ध है ।</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय</td><td>27.08.2021 तक, 4887 सिविल मामले लंबित हैं, जहां केंद्रीय सरकार एक पक्षकार है ।</td><td>226864</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय</td><td>-</td><td>84741</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>माननीय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय</td><td>-</td><td>47980</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>माननीय झारखंड उच्च न्यायालय</td><td>31.12.2021 तक, 3893 मामले लंबित है, जहां भारत संघ एक पक्षकार है ।</td><td>85740</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय</td><td><table><tr><th>न्यायालय का नाम</th><th>31.01.2022 तक, लंबित मामलों की संख्या, जहां भारत संघ एक पक्षकार है</th></tr><tr><td>कर्नाटक उच्च न्यायालय</td><td>1514</td></tr><tr><td>राज्य की जिला न्यायपालिका</td><td>2217</td></tr></table></td><td>258159</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>माननीय केरल उच्च न्यायालय</td><td>-</td><td>210514</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय</td><td>01.03.2022 तक, लंबित मामलों की कुल संख्या 15449 है, जहां भारत संघ एक पक्षकार है</td><td>413467</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>माननीय मद्रास उच्च न्यायालय</td><td>31.12.2021 तक, लंबित मामलों की कुल संख्या 12655 है, जहां उच्च न्यायालय में भारत संघ एक पक्षकार है और जिला न्यायालय में 1671 मामले लंबित हैं ।</td><td>570847</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय</td><td><table><tr><th>न्यायालय का नाम</th><th>लंबन, जहां भारत संघ एक पक्षकार है ।</th></tr><tr><td>मणिपुर उच्च न्यायालय</td><td>291</td></tr><tr><td>जिला और अधीनस्थ न्यायालय</td><td>11</td></tr></table></td><td>4958</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>माननीय मेघालय उच्च न्यायालय</td><td><table><tr><th>न्यायालय का नाम</th><th>लंबन, जहां भारत संघ एक पक्षकार है ।</th></tr><tr><td>मेघालय उच्च न्यायालय</td><td>203</td></tr></table></td><td>1480</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>अधीनस्थ जिला न्यायालय</td><td>239</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय</td><td>-</td><td>194739</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>माननीय पटना उच्च न्यायालय</td><td><table><tr><td colspan="4">03.03.2022 तक, लंबित मामलों की संख्या,जहां भारत संघ एक पक्षकार है ।</td></tr><tr><td>मामलों की प्रकृति</td><td>सिविल</td><td>दांडिक</td><td>कुल लंबन</td></tr><tr><td></td><td>5994</td><td>416</td><td>6410</td></tr></table></td><td>224046</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय</td><td>28.02.2022 तक, कुल 14710 मामले लंबित हैं जहां उच्च न्यायालय में भारत संघ एक पक्षकार है और जिला न्यायालय में 12030 मामले लंबित हैं ।</td><td>450653</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय</td><td>-</td><td>585136</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>माननीय सिक्किम उच्च न्यायालय</td><td>05.03.2022 तक, लंबित मामलों की संख्या 19 है, जिसमें भारत संघ एक पक्षकार है ।</td><td>182</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय</td><td><table><tr><td colspan="2">31.12.2021 तक</td></tr><tr><td>न्यायालय का नाम</td><td>लंबित मामलों की संख्या</td></tr><tr><td>त्रिपुरा उच्च न्यायालय</td><td>152</td></tr><tr><td>त्रिपुरा अधीनस्थ न्यायपालिका</td><td>232</td></tr></table></td><td>1700</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय</td><td>28.02.2022 तक, लंबित मामलों की संख्या 8256 है, जहां भारत संघ एक पक्षकार है ।</td><td>259771</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय</td><td>-</td><td>42240</td></tr>
</table>

****